म.प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) नियम, 1969

[नोटीफिकेशन क्र. 7314-53-X-(3)-69 दिनांक 1 नवम्बर 1969- म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 21 के अधीन शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार ने निम्नलिखित नियम बनाये हैं :-

नियम

[1]**नियम 1. संक्षिप्त नाम-** ये नियम (म. प्र. वन उपज (other than timbers इमारती लकड़ी के अन्यथा)- (व्यापार विनियमन) नियम, 1969 कहलायेंगे।

नियम 1-A. लागू होना- ये नियम इमारती लकड़ी को छोड़कर- समस्त वन उपज को लागू होंगे।

नियम 1-B. निर्देश का अर्थान्वयन - इन नियमों में विनिर्दिष्ट वन उपज के लिये किया गया कोई निर्देश (reference) इमारती लकड़ी के रिफरैन्स को शामिल नहीं करेगा।

नियम 2. परिभाषायें - इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो,-

A-(क) **अधिनियम** - से अभिप्रेत - म. प्र. वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (9/1969) से है;

B-(ख) **डिवीजनल फारेस्ट आफीसर (खण्डीय वन अधिकारी)** - से अभिप्रेत उस वन अधिकारी से है जो क्षेत्रीय वन खण्ड (Territorial Forest Division) का प्रभारी हो;

C- (ग) **"प्ररूप"** से तात्पर्य इन नियमों से संलग्न प्ररूप से है;

D-(घ) **"क्रेता"** से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या पक्ष से है, जिसे ऐसी रीति में, जिसका कि राज्य सरकार धारा 12 के अधीन निर्देश दे, विनिर्दिष्ट वन उपज बेच दी गई हो या उसका अन्यथा निवर्तन कर दिया गया हों;

E- (ङ) **"धारा"** से तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

F- (च) **"परिवहन अनुज्ञा पत्र"** से तात्पर्य विनिर्दिष्ट वन-उपज का परिवहन करने के लिये धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र से है।

नियम 3. अभिकर्ता की नियुक्ति- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन इकाई या इकाईयों के लिये तथा समस्त या किसी विनिर्दिष्ट वन उपज के हेतु अभिकर्ता या अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने के लिये राज्य सरकार, अभिकरण (Agency) के निबन्धन तथा शर्तें देते हुए और ऐसी नियुक्ति के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित करते हुये, मध्यप्रदेश राजपत्र में तथा ऐसी अन्य रीति में, जिसे कि वह उचित समझे एक सूचना प्रकाशित करेगी।

(2) अभिकरण के लिये आवेदन 'प्ररूप क' में होगा जो कि सम्बन्धित खण्डीय वन आफिसर के कार्यालय से या किसी अन्य खण्डीय वन आफिसर से प्रत्येक प्ररूप के लिये एक रुपये का संदाय करने पर प्राप्त किया जा सकेगा।

---

1. नोटीफिकेशन क्र. 18-7-73-3 (1) दि. 23-10-1978 (म.प्र. राजपत्र पार्ट IV (Ga) दि. 17-11-1978 पृ. 313) द्वारा प्रतिस्थापित (नियम 1) किया गया।

(3) अभिकरण हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के लिये न लौटाने योग्य दस रुपये फीस चुकाई जायेगी रकम वन विभाग द्वारा धनराशि स्वीकार करने के लिये विहित नियमों के अनुसार उस खण्ड के खाते में देय होगी, जिसमें कि इकाई स्थित हो। प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की इकाई के लिये पृथक्-पृथक् आवेदन अपेक्षित होगा।

(4) (एक) अभिकरण के लिये आवेदन-पत्र विहित आवेदन फीस सहित, सभी दृष्टियों से पूर्ण किया जाकर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी तारीख तक, ऐसी रीति में, जो कि पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जाय, प्रस्तुत किया जायेगा।

(दो) किसी व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति या फर्म की ओर से आवेदन करने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि वह आवेदन पत्र के साथ उस मुख्त्यारनामे की, जो ऐसे व्यक्ति या फर्म द्वारा निष्पादित किया गया हो, या उसे उस व्यक्ति या फर्म की ओर से कार्य करने हेतु सशक्त करता हो, या उस फर्म के जिसका कि भागीदार होने का दावा करता हो, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न न कर दे तथा खंडीय वन आफिसर के समक्ष मूलतः प्रस्तुत न कर दे।

(तीन) ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी इस सम्बन्ध में पारित संकल्प की सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करते हुए आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगी :

परन्तु संकल्प की ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन की दशा में अपेक्षित नहीं होगी।

(5) (एक) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ कोषागार का चालान संलग्न होगा जो यह दर्शावेगा कि आवेदक द्वारा राजस्व निक्षेप के अधीन पाँच सौ रुपये का नगद निक्षेप अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप (Security Deposit) के रूप में सम्बन्धित वन आफिसर के नाम किया है। राजस्व निक्षेप करने के लिये चालान किसी भी वन आफिसर से प्राप्त किया जा सके।

(दो) ऊपर वर्णित अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप के अतिरिक्त आवेदक उपनियम (1) के अधीन जारी की गई पूर्वोक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की गई रकम की सीमा तक व्यक्तिगत शोध क्षमता का प्रमाण-पत्र या ऐसा प्रमाण-पत्र धारण करने वाला स्वतंत्र प्रतिभू का प्रतिभू बन्धपत्र (Security Bond) प्रस्तुत करेगा और संलग्न करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, ग्राम पंचायत या सहकारी सोसायटी या मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को इस खण्ड के उपबन्धों से छूट दे सकेगी।

(तीन) आवेदक, आवेदन पत्र को तब तक प्रत्याहृत (Withdraw) नहीं करेगा, जब तक कि आवेदन पत्र स्वीकार या अस्वीकार करने वाले सक्षम प्राधिकारी के आदेश पारित न कर दिये गये हों या कोई अन्य व्यक्ति, ग्राम पंचायत, या सहकारी सोसायटी या मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल कोआपरेटिव डेवलपमेन्ट कारपोरेशन को उस इकाई के लिये अभिकर्ता के रूप में नियुक्त न कर दिया गया हो। इस उपबन्ध का भंग करने पर खण्ड (एक) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति निक्षेप समपहृत (Forfeited) हो जायेगा।

(6) राज्य सरकार किसी भी आवेदन पत्र को, इस सम्बन्ध में कोई भी कारण बताये बिना स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप, उन आवेदकों को लौटा दिया जायेगा जिनके आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिये हों। अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किये गये आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति निक्षेप उपनियम (8) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये उप नियम (9) के अधीन अपेक्षित प्रतिभूति निक्षेप के प्रति समायोजित किया जावेगा।

(7) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, जहाँ राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना समीचीन तथा आवश्यक है वहां वह उसके लिये लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से किसी भी व्यक्ति, सहकारी सोसायटी, या ग्राम पंचायत, मध्यप्रदेश स्टेट ट्रायबल को-आपरेटिव डेवलपमेन्ट कार्पोरेशन को प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज की एक या अधिक इकाइयों के लिये अभिकर्ता या अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्त कर सकेगी।